निर्वाचन सदन,
अशोक रोड, नई दिल्ली-**110001**

भारत निर्वाचन आयोग

सं. **322**/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./द्विवार्षिक-एलसी/**2016** दिनांक**: 26** दिसंबर, **2016**

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
1. महाराष्ट्र, मुंबई,
2. उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
3. बिहार, पटना,
4. कर्नाटक, बेंगलूर,
5. आंध्र प्रदेश, हैदराबाद,
6. तेलंगाना, हैदराबाद

विषय **:** स्नातक एवं शिक्षक तथा स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा - परिषदीय निर्वाचन-क्षेत्रों से विधान परिषदों के द्विवार्षिक/उप निर्वाचन- आदर्श आचार संहिता **(**एमसीसी**)**-अनुदेश – तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान परिषदों के निर्वाचनों के संचालन के दौरान मिले कुछ अनुभव यह दर्शाते हैं कि ऐसे निर्वाचनों में आदर्श आचार संहिता के उपबंधों की अनुप्रयोज्यता के संबंध में सुस्पष्टता का अभाव है।

2. आयोग ने इस विषय की जांच करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया था। कार्यदल की रिपोर्ट पर और इस विषय पर संपूर्ण रूप में विचार करने के उपरांत आयोग ने निदेश दिया है कि राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के सभी उपबंध स्नातक एवं शिक्षक के साथ-साथ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्रों से राज्य विधान परिषदों के उप-निर्वाचनों सहित द्विवार्षिक निर्वाचनों पर भी ***यथावश्यक परिवर्तनों सहित*** लागू होंगे। परिणामत:, एमसीसी उपबंधों के स्पष्टीकरण में आयोग द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न अनुदेश ऐसे निर्वाचनों पर भी लागू होंगे।

3. मुझे यह भी कहना है कि आयोग के निम्नलिखित अनुदेश, जो सभी के लिए समान अवसर दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए भी समय-समय पर जारी किए गए हैं कि सत्तासीन दल निर्वाचकीय फायदे के लिए अपनी स्थिति का दुरुपयोग नहीं करें, स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों से राज्य विधान परिषदों के उप-निर्वाचनों के द्विवार्षिक/उप-निर्वाचनों के साथ-साथ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्रों पर भी लागू होंगे **(**निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन पूरे होने की तारीख तक**)**।

I. मंत्री, चाहे केन्द्र के हों या राज्य के, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन ऐसे किसी भी जिला **(**जिले**)** में आधिकारिक दौरा कर सकते हैं जिसमें/जिनमें परिषदीय निर्वाचन-क्षेत्र से कोई भी द्विवार्षिक/उप-निर्वाचन आयोजित किए जा रहे हों**:**-
   - वे ऐसे किसी भी शैक्षणिक संस्थान का कोई उद्घाटन/शिलान्यास नहीं करेंगे जो स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों के संघटक हैं।
   - आधिकारिक दौरे निर्वाचन संबंधी कार्य/दौरों के साथ नहीं संयोजित किए जाएंगे।

- ऐसे कोई नीतिगत कार्यक्रम/नीति की घोषणा नहीं की जाएगी जिनसे उन स्नातकों, शिक्षकों एवं स्थानीय प्राधिकारियों के प्रभावित होने की संभावना हो जो निर्वाचनाधीन निर्वाचन-क्षेत्रों का निर्वाचक बनते हैं।

II. जहां द्विवार्षिक/उप-निर्वाचन आयोजित किए जा रहे हैं वहां के निर्वाचन संबंधी कार्य से जुडा़/जुड़े जिले के किसी भी रैंक के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को किसी भी मंत्री द्वारा किसी भी स्थान पर किसी बैठक में भाग लेने के लिए, ऐसे अन्य जिलों में भी जहां निर्वाचन आयोजित नहीं किए जा रहे हैं, नहीं बुलाया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी/अधिकारी किसी मंत्री से उसके निजी दौरे पर उस निर्वाचन-क्षेत्र में मिलता है जहां निर्वाचन आयोजित किए जा रहे हैं तो वह संगत सेवा नियमों के अंतर्गत कदाचार का दोषी माना जाएगा; और अगर वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 129(1) में उल्लिखित एक अधिकारी है तो उसके बारे में यह भी अलग से समझा जाएगा कि उसने उस धारा के सांविधिक उपबंधों का उल्लंघन किया है और वह तदन्तर्गत निर्दिष्ट दांडिक कार्रवाई का भागी बनेगा।

III. किसी भी स्थानीय प्राधिकारी के किसी भी ऐसे सदस्य को, जो स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक मंडल के भाग हैं, किसी भी मंत्री द्वारा (मंत्री के रूप में अपनी हैसियत से) किसी बैठक/वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं बुलाया जाएगा। स्थानीय निकायों की रूटीन बैठकें, जब जरूरी हों, तो संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्व-अनुमति से आयोजित की जा सकती हैं।

IV. किसी भी मंत्री द्वारा निर्वाचन-क्षेत्र के अपने निजी दौरे के दौरान किसी भी रंग की संकेतक बत्तियों से युक्त पायलट कार (कारों) या उनकी उपस्थिति को विशिष्ट बनाने के लिए किसी भी प्रकार के सायरनों से युक्त कार (कारों) का उस परिस्थिति में भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जब राज्य प्रशासन ने उन्हें ऐसा सिक्यूरिटी कवर प्रदान किया हो जिसमें दौरे पर उनके साथ सशस्त्र गार्डों की उपस्थिति जरूरी हो।

V. निर्वाचनों के संपन्न होने तक सरकारी विभागों में कोई भी नीतिगत घोषणा या कार्यक्रम शुरू नहीं किए जाएंगे जो निर्वाचकों को या तो प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: प्रभावित करते हों।

VI. जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी जरूरत के आधार पर और राज्य के सीईओ/भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक के परामर्श से प्रत्येक तहसील के लिए एक विशेष वीडियो टीम की व्यवस्था करेंगे जो सार्वजनिक स्थानों पर की जाने वाली राजनीतिक बैठक की वीडियोग्राफी करेगी और दौरे करने वाले मंत्रियों और अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक पदाधिकारियों के दौरों की रिकार्डिंग करेगी। आयोग के प्रेक्षक उसी दिन शाम में वीडियो रिकार्डिंग देखेंगे ताकि वे किसी भी प्रकार के उल्लंघन की विहित फार्मेट में आयोग को रिपोर्टिंग कर सकें।

VII. स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्रों से निर्वाचन होने की दशा में केन्द्रीय एवं राज्य मंत्रियों के "आधिकारिक दौरों" पर प्रतिबंध स्थानीय प्राधिकारियों के "पदाधिकारियों" जैसे नगर निगमों के मेयर, नगर परिषदों एवं जिला परिषदों के अध्यक्षों की "आधिकारिक कारों" पर भी लागू होंगे। उनके द्वारा कार्यालय से निवास तक जाने-आने तक की यात्रा के लिए ही आधिकारिक कारों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

VIII. निर्वाचन बैठकों का आयोजन करने, और निर्वाचनों के संबंध में एयर-फ्लाइटों के लिए हेलीपैडों का इस्तेमाल करने के लिए सार्वजनिक स्थानों जैसे मैदानों पर सत्तासीन दल द्वारा एकाधिकार नहीं जमाया जाएगा। अन्य दलों और अभ्यर्थियों को भी पहले आओ-पहले पाओ आधार पर उनका इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

IX. आईटी प्लेटफार्म का इस्तेमाल करके सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्य स्कीमों के आधार पर कार्य की ऐसी कोई भी नई संस्वीकृति नहीं जारी की जानी है जो निर्वाचकों को प्रभावित करने वाली मानी जाए।

X. निर्वाचनों की घोषणा के उपरांत राज्य विधान परिषदों के द्विवार्षिक निर्वाचनों/उप-निर्वाचनों के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध होगा और यह प्रतिबंध निर्वाचनों के समाप्त होने तक प्रवृत्त रहेगा। उपर्युक्त अधिकारियों के संदर्भ में निर्वाचन की घोषणा की तारीख से पहले निर्गत किन्तु तब तक कार्यान्वित नहीं हुए स्थानांतरण आदेशों को आयोग की विशिष्ट अनुमति लिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए। जिन मामलों में प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण से अधिकारी का स्थानांतरण किया जाना जरूरी हो उनमें राज्य सरकार पूर्ण औचित्य के साथ पूर्व अनुमोदन के लिए आयोग से संपर्क कर सकती है।

XI. राज्य विधान परिषदों के द्विवार्षिक निर्वाचनों/उप-निर्वाचनों के दौरान धन शक्ति की प्रतिकूल भूमिका पर अंकुश लगाने के लिए और काले धन के मूवमेंट पर अंकुश लगाने के लिए निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचनों का संचालन करने के लिए **29.05.2015** को निर्गत मानक प्रचालन कार्यविधि **(**एसओपी**)**, सिवाय स्थैतिक निगरानी दलों की तैनाती के, लागू की जानी चाहिए।

XII. निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों के सार-संग्रह में यथाविहित, द्विवार्षिक निर्वाचनों/उप-निर्वाचनों की घोषणा के तुरंत बाद टीवी चैनलों/केबिल नेटवर्क, निजी एफएम चैनलों सहित रेडियो, सिनेमा हॉलों, सार्वजनिक स्थान में श्रव्य-दृश्य डिस्प्ले और सोशल मीडिया के मामले में निर्वाचन विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणन के लिए और प्रचार-अभियान के दौरान राजनीतिक पदाधिकारियों के सामान्य आचरण का अनुवीक्षण करने के लिए भी राज्य एवं जिला मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति **(**एमसीएमसी**)** नियुक्त की जाएगी।

XIII. निर्वाचन प्रचार-अभियान में फोन पर थोक में एसएमएस/वॉयस संदेश भी निर्वाचन विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणन की परिधि में होंगे जैसाकि टीवी चैनलों/केबिल नेटवर्क, निजी एफएम चैनलों सहित रेडियो, सिनेमा हॉलों, सार्वजनिक स्थान में श्रव्य-दृश्य डिस्प्ले और सोशल मीडिया के मामले में है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अन्य रीतियों पर यथा-अनुप्रयोज्य विधिक उपबंध थोक एसएमएस/वॉयस संदेशों पर भी लागू होंगे।

XIV. निर्वाचनों का संचालन नियम, **1961** के नियम **69** के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, **1951** की धारा **29** के अंतर्गत विधायकों द्वारा राज्य सभा एवं राज्य विधान परिषदों का निर्वाचन करने के संदर्भ में मतदान का संचालन करने के लिए मतदान का एक स्थान नियत किया जाता है। धारा **135**ग के अनुसार मतदान क्षेत्रों में "शुष्क दिवस" की घोषणा की जानी होती है और मतदान क्षेत्र लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, **1951** की धारा **25** में परिभाषित किया गया है जो लोक सभा, विधान सभाओं के निर्वाचनों और स्नातक, शिक्षक एवं स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्रों से विधान परिषदों के निर्वाचनों पर लागू है।

XV. प्रचार-अवधि के दौरान वाहनों के दुरुपयोग को रोकने और काफिले के विनियमन से संबंधित वे उपबंध परिषदीय निर्वाचनों पर भी लागू किए जाएंगे जो लोक सभा/विधान सभाओं के निर्वाचनों पर भी लागू हैं।

XVI. प्रचार अवधि के समाप्त होने अर्थात् मतदान समाप्त होने के **48** घंटे पहले निर्वाचन-क्षेत्र में राजनीतिक पदाधिकारियों की मौजूदगी पर रोक, जैसाकि लोक सभा/विधान सभाओं के निर्वाचनों के मामले में होता है, परिषदीय निर्वाचन-क्षेत्रों से परिषदीय निर्वाचनों पर भी लागू की जाएगी।

4. इस संबंध में की गई कतिपय पूछताछ के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि **:-**

() निर्वाचन अवधि के दौरान निर्वाचकों को होटलों/रिजॉर्टों और अन्य समरूप स्थानों में रखने की परिपाटी निर्वाचकों को रिश्वत देने के समान होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी परिपाटी आईपीसी की धारा **171**ख के उल्लंघन के अलावा एमसीसी के सामान्य आचरण के पैरा । के उप पैरा **(4)** का उल्लंघन भी मानी जाएगी।

() एमसीसी के पैरा {VII-(iii)} के वाक्यांश 'विश्राम गृह/डाक बंगला या अन्य सरकारी आवास' में ऐसे सभी संस्थानों के *अतिथि गृह* शामिल होंगे जिन्हें किसी भी रूप में सरकारी सहायता अनुदान प्राप्त हो रही है।

() एमसीसी के पैरा {VII-(v) & (vi)} के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि इन्हें केवल उन्हीं स्नातक/शिक्षक/स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्रों के संबंध में लागू किया जाएगा जहां निर्वाचन आयोजित किए जा रहे हैं।

कृपया सभी संबंधितों को, जिनमें आपके राज्य में आधारित सभी पंजीकृत एवं मान्यता-प्राप्त दल शामिल हैं, सूचित करें।

कृपया अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

ह./-

(आर.के. श्रीवास्तव)
वरि. प्रधान सचिव